आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

09/3/2019

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल दण्डाधिकारी,राजगहल।
कि0मि0नं0– 17/19
प्रथम पक्ष– बख्तियार शेख वगैरह
बनाम
द्वितीय पक्ष– भादू शेख वगैरह
द0प्र0स0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही
आदेश

थाना प्रभारी, बरहरवा से प्राप्त अप्राथमिकि के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि मौजा फरीदपुर ज0नं0–146 दाग नं0–319 रकवा 12 बीघा 04 धूर में स्थित पोखर को लेकर पक्षों के बीच सार्वजनिक शांति भंग की संभावना है, जिससे संतुष्ट होकर दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	ज0 नं0	दाग नं0	रकवा
फरीदपुर	146	319	12 बीघा 04 धूर

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा फरीदपुर, ज0नं0–146 दाग नं0–319 रकवा 12 बीघा 04 धूर जमीन पर थाना प्रभारी, बरहरवा द्वारा प्रेषित अप्राथमिकि प्रतिवेदन के आलोक में कार्यवाही प्रारम्भ हुआ है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि पूर्व में क्रि0मि0 वाद सं0 535/16, दिनांक 16.02.2017 के द्वारा प्रथम पक्ष के हित में आदेश पारित किया गया था। द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को परेशान करने की नीयत से दोबारा यह वाद लाये हैं। जिसके कारण द्वितीय पक्षों से सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। अतएव पूर्व के आदेश की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रथम पक्ष के हित में उचित आदेश पारित करने का प्रार्थना किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन बरहरवा अंचल अंतर्गत मौजा फरीदपुर के जमाबंदी नं0 146, दाग नं0 319, रकवा 12 बीघा 04 धूर जमीन खतियान में अनावादी खास कहकर दर्ज है। उक्त जमीन में तीन बीघा पर तालाब और शेष जमीन पर तलाब पटाल है। पूर्व में भी इसी तालाब को लेकर ताहिर शेख–बनाम–रेजाबुल शेख वगै0 के बीच दखल को लेकर विवाद हुआ था, जिसका क्रि0मि0 केस नं0 118/1964 है तथा उसमान गनी तत्कालिन जमीनदार महेशचन्द्र दास से वह अपने नाम से बन्दोबस्ती करवा कर प्राप्त किया है। जबकि द्वितीय पक्ष का कहना है कि 1927 में बिना विरोध के जमीनदार गांव के 16 लोगों के नाम से उक्त तालाब दे दिया, जिसमें चार आदमी 1. जैनाल शेख 2. अयुब शेख 3. रोशन शेख एवं 4. अयुब शेख अभी जीवित हैं और इन्हें ही तालाब पर अधिकार प्राप्त है। प्रथम पक्ष बख्तियार शेख रोशन शेख का पोता है, जबकि अयुब शेख अब्दुल शेख, जैनाल शेख सभी का वंशज गांव वासी के तरफ से द्वितीय पक्ष हैं। अब्दुल शेख अपने जीवनकाल में इसी जमीन में से 02 बीघा जमीन अनिबंधित केवाला द्वारा तमजू शेख, रूमान शेख, खुर्शीद शेख के पास दिनांक 18.10.1963 को केवाला सं0 3507 के द्वारा बिक्री कर दिया है। तमजू शेख एवं खुर्शीद शेख के बाल–बच्चे गांव वालों की तरफ है। क्योंकि गांव वाले उक्त तालाब जो अनावादी खास जलकर है में गांव के लोग उसमें मछली पालन कर गांव के मस्जिद, मदरसा व कब्रिस्तान के विकास में खर्च किया करेंगे। किसी तरह पंजी II में उपरोक्त चार व्यक्तियों का नाम अंकित हो गया है, परन्तु जमीनदार ने कोई बन्दोबस्ती दस्तावेज नहीं दिया है और न ही इसका रिटर्न वर्ष 1957 में सरकार के यहाँ जमा किया गया है। फर्जी खाजान के रसीद के आधार पर प्रथम पक्ष इस पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। उक्त तालाब को अपना नीजी तालाब बनाने के निए गांव के दबंग व्यक्ति जैसे उसमान गनी, ताहिर शेख, रोशन शेख हमेशा

Scanned with CamScanner

नया–नया हथकण्डा अपनाते हैं, जिसके लिए50–60 वर्षो से इस तालाब को लेकर दो पक्षों में लडाई मुकदमा होता आ रहा है। इस बात की पुष्टि तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के केस नं0 118/1964 के द्वारा निर्गत थाना प्रभारी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है। गांव वालों के घोर विरोध के बाद पंजी ॥ में तत्कालीन अंचलाधिकारी महोदय बरहरवा ने संबंधित कर्मचारी को स्पष्ट आदेश लिखकर दिये कि उक्त तालाब अनावादी है। इसलिए सरकार के आदेश के बिना रैयत को लगान रसीद निर्गत नहीं करेंगे। प्रथम पक्ष फर्जी लगान रसीद वर्ष 1983 के बाद का न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है, जबकि आन लाईन से प्राप्त दस्तावेज यह बताता है कि वर्ष 1966 से आज तक उक्त जगीन का लगान बकाया है, जिसकी राशि 3185/– रू0 हो गयी है। प्रश्नगत जगीन पर किसी का दखल कब्जा नहीं रहा है उक्त जमीन पर फरीदपुर गांव के 16 आना रैयत इसका भोग दखल करते है। पूर्व में भी धारा 144 के अधीन क्रि0मि0 वाद सं0 535/16 बख्तियार शेख–बनाम्–भादु शेख वगै0 दर्ज हुआ था, जो प्रथम पक्ष के अधिकार में उक्त जगीन दिखकार निर्णय दिया गया, निर्णय के खिलाफ द्वितीय पक्ष जिला जज, साहेबगंज के यहा रिभिजन 42/A दायर किये, जिसका फैसला अपर जिला जज प्रथम के यहा से हुआ, जिसमें निचली अदालत के निर्णय को अपास्त कर दिया गया। प्रश्नगत जमीन कभी भी प्रथम पक्ष के भोग–दखल में नहीं रहा है। वर्ष 1966–67 से आज तक का लगान किसी भी पक्ष से सरकार द्वारा नहीं लिया जा रहा है। द्वितीय पक्ष कभी भी अपने स्वार्थ हित के प्रश्नगत जमीन का भोग–दखल नहीं किये हैं। फरीदपुर के लगभग 500 से भी अधिक लोगों का एक हस्ताक्षरित आवेदन भी प्रथम पक्ष के खिलाफ श्रीमान् को प्रतिवेदित किये है, जिसमें उप प्रमुख, स्थानीय मुखिया का भी हस्ताक्षर हैं। प्रथम पक्ष को जो भी प्रतिकार करते है उसे वे झुठा मुकदमा में फंसा देता हैं। इसी क्रम में प्रथम पक्ष के द्वारा किरमानी शेख (द्वितीय पक्ष) जो मदरसा में एक शिक्षक है के प्रतिकार करने के विरोध में प्रथम पक्ष एवं उनके भाई ने जान से मारने की नीयत से चाकू घुसेड दिया था। जिसके आरोप में प्रथम पक्ष एवं उसके भाई करीब 25 दिन राजमहल जेल में बंद रहे है।

उभय पक्षों के द्वारा निम्नलिखित सूचीबद्ध कागजात दाखिल किया है।

1. प्रथम पक्ष ने मौजा फरीदपुर ज0नं0–146 रकवा 12 बीघा 04 धूर जमीन से संबंधित लगान रसीद वर्ष 1962–63 से 2017–18 एवं 03.12.2018 तक का रौशन शेख वगैरह के नाम से निर्गत प्रति की छाया प्रति।
2. आवासीय दण्डाधिकारी, राजमहल के न्यायालय के कि0मि0 वाद सं0–249/82 उसमान गनी बनाम रौशन शेख एवं अन्य से संबंधित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
3. अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल न्यायालय के क्रि0मि0 वाद सं0 535/2016 बख्तियार शेख–बनाम्–भादू शेख एवं अन्य से संबंधित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
4. अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के कि0मि0 वाद सं0–118/1964 ताहीर शेख बनाम इजाबूल शेख एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
5. मुन्सीफ मजिस्ट्रेट प्रथम, राजमहल के टी0आर0 वाद सं0–113/69 हाजी उसमान गणनी बनाम इजाबुल शेख एवं अन्य में पारित आदेश एवं आवेदन की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
6. मीस्टर के सा मजिस्ट्रेट प्रथम, राजमहल के कि0मि0 केस नं0–395/49 में पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
7. ग्राम कचहरी ग्वालखोर में सरपंच द्वारा वादी–इदरिश शेख बनाम प्रतिवादी शेख उसमान गनी केस नं0–35/53 में पारित अंतिम आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
8. श्री कृष्ण गोपाल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, साहेबगंज के कि0मि0 केस सं0–184/70 सोभान शेख बनाम इजाबुल शेख एवं अन्य से संबंधित पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
9. आवासीय दण्डाधिकारी, राजमहल के कि0मि0 सं0–58/1965 में पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
10. मुन्सीफ मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, राजमहल के टी0आर0 केस नं0–16/70 सरकार बनाम तासू शेख एवं अन्य में पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।
11. मुन्सीफ मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, राजमहल के टी0आर0 केस सं0–38/1967 हाजी उसमान गनी बनाम इजाबुल शेख में पारित आदेश की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति।

Scanned with CamScanner

12. समाचार पत्र मे प्रकाशित समाचार की कतरन की फोटो कॉपी संलग्न किया है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा निम्नलिखित कागजात दाखिल किया है–

13. मौजा फरीदपुर ज0नं0–146 दाग नं0–319 कुल रकवा 12 बीघा 04 धूर से संबंधित खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति एवं उसका हिन्दी रूपान्तरण दाखिल किया है।
14. सूचना अधिकार अधिनियम से अंचल अधिकारी, बरहरवा से मांगे सूचना के आलोक में प्राप्त प्रतिवेदन की फोटो प्रति एवं पंजी–II की छाया प्रति।
15. स्थानीय ग्रामीणों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र की छाया प्रति दाखिल किया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं दाखिल कागजातों तथा कारणपृच्छाओं के अवलोकन करने से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैः–

1. मौजा फरीदपुर ज0नं0–146 दाग नं0–319 कुल रकवा 12 बीघा 04 धूर जमीन खतियान में अनावादी पोखर कहकर दर्ज है।
2. लगान रसीद वर्ष 1962–63 से 2017–18 का अवलोकन से यह पाया जाता है कि कार्यवाही वाली जमीन प्रथम पक्षों के पूर्वजों के नाम से लगान धार्य हुआ है एवं वर्ष 1962–63 से ही सरकार को लगान देते आ रहे है।
3. प्रथम पक्षों के द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि पक्षों से कार्यवाही वाली जमीन को लेकर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है, जिसमें आवासीय दण्डाधिकारी, राजमहल के क्रि0मि0 वाद सं0 249/1982 (उसमान गनी–बनाम–रौशन शेख), अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल के क्रि0मि0 वाद सं0 535/16 (बख्तियार शेख–बनाम–भादू शेख), मुन्सीफ मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, राजमहल टी0आर0 केस नं0 16/70 (सरकार–बनाम्–तासू शेख एवं अन्य), मुन्सीफ मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, राजमहल टी0आर0 केस नं0 38/1967, आवासीय दण्डाधिकारी के क्रि0मि0 सं0 58/1965, मुन्सीफ मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, राजमहल टी0आर0 केस नं0 113/1969, मीस्टर केसा मजिस्ट्रेट प्रथम राजमहल के क्रि0मि0 केस नं0 395/1949, मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, साहेबगंज के क्रि0मि0 केस सं0 184/1970, आवासीय दण्डाधिकारी, राजमहल के न्यायालय के क्रि0मि0 वाद सं0 249/1982 एवं अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल के क्रि0मि0 वाद सं0 535/2016 विभिन्न न्यायालय के द्वारा प्रथम पक्षों के हित में आदेश पारित किया गया है। जिससे उनके दखल की पुष्टि होती है।

उभय पक्षों द्वारा उपस्थापित कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहस को सुना। ऐसा प्रतीत होता है कि विवाद मूलतः अधिकार से संबंधित है। विवाद पर निर्णय वर्तमान वाद के माध्यम से संभव नहीं है। उभय पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। अतएव इस निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल दण्डाधिकारी
राजमहल

Scanned with CamScanner